देशबन्धु

# [अर्थ जगत]

डॉक्टरों, नर्सों को किराए में रियायत देगी इंडिगो

नई दिल्
कोरोना संव
नर्सों को वि
बताया कि
31 दिसंबर
फीसदी तक

# शराब की बिक्री पर 30 फीसदी के अतिरिक्त टैक्स को हटाने की मांग

## सीआईएबीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा इससे कम हो रही है शराब की बिक्री

नई दिल्ली, 2 जुलाई (देशबन्धु)। पश्चिम बंगाल में शराब की गिरती बिक्री को खतरे की घंटी करार देते हुए शराब उत्पादन करने वाली कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था कनफेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांग की है कि वह शराब पर लगाई गई 30 फीसदी की अतिरिक्त लेवी या टैक्स को वापस लें। जिससे कि राज्य सरकार को अधिक टेक्स्ट हासिल हो पाए और साथ ही शराब इंडस्ट्री को भी राहत मिले, उसने कहा है कि राज्य में शराब के ऊपर एक ऐसी लेवी हो जो किफायती हो, इससे राज्य सरकार को अधिक टैक्स हासिल करने में सहायता मिलेगी तो वही शराब उत्पादन करने

वाली कंपनियों को भी अपना कारोबार करने में आसानी रहेगी, उन पर कोई संकट नहीं आएगा।

राज्य सरकार को भेजे गए अपने एक पत्र में सीआईएबीसी ने कहा है कि राज्य सरकार के 9 अप्रैल के फैसले, जिसमें शराब की बिक्री पर 30 फीसदी का अतिरिक्त कर लगाया गया है, उसकी वजह से राज्य में शराब की बिक्री लगातार निचले स्तर पर आ रही है। इससे न केवल राज्य सरकार को टैक्स के रूप में घाटा हो रहा है बल्कि कंपनियों और उपभोक्ता को भी

**अप्रैल में राज्य में 84 फीसदी तक और मई में 35 फीसदी तक शराब की बिक्री कम हुई है, जब भी किसी वस्तु पर टैक्स की दर को बढ़ा दिया जाता है तो उपभोक्ता उस श्रेणी में ऐसे उत्पाद की ओर मुड़ जाते हैं जिनका बाजार मूल्य कम होता है : विनोद गिरि, डायरेक्टर जनरल, सीआईएबीसी**

इसकी वजह से हानि हो रही है, अधिक टैक्स की वजह से शराब की बिक्री कम हो रही है, जिसका नुकसान राज्य सरकार को कम टैक्स के रूप में देखने को मिल रहा है, ऐसे में वह राज्य सरकार से अपील करते हैं कि शराब पर अधिकतम अतिरिक्त टैक्स पांच से 10 फीसदी ही होना चाहिए, उससे अधिक अतिरिक्त टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए।

सीआईएबीसी के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरि ने अधिक टैक्स की वजह से शराब की कम होती बिक्री का डाटा देते हुए कहा कि अप्रैल में राज्य में 84 फीसदी तक और मई में 35 फीसदी तक शराब की बिक्री कम हुई है, उन्होंने कहा कि यह हमेशा देखा गया है कि जब भी किसी वस्तु पर टैक्स की दर को बढ़ा दिया जाता है तो उपभोक्ता उस श्रेणी में ऐसे उत्पाद की ओर मुड़ जाते हैं जिनका बाजार मूल्य कम होता है और जिन पर टैक्स कम होता है। उन्होंने कहा कि जब शराब पर टैक्स बढ़ता है तो उपभोक्ता उसकी खरीद भी कम कर देते हैं।